

(c) will the Government drop the said proposal in the interest of the SC and ST people; if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, ELECTRONICS AND ENVIRONMENT AND OCEAN DEVELOPMENT (SHRI C. P. N. SINGH): (a) to (c). The Department of Science & Technology is following the Government of India orders/instructions relating to reservation of posts for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. There is no proposal at present under consideration for making any departures or deviations from the operation of Government of India orders relating to reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for posts in the Department of Science & Technology. The Recruitment Rules of the Department are currently under review preparation in view of the large requirements of scientific/technical staff for implementation of the Sixth Five-Year Plan Schemes and other new activities taken up by the Department recently. It is, therefore, premature at this stage to draw any conclusions as regards the percentage of posts to be earmarked for direct recruitment vis-a-vis promotion from within the Department in the various grades in the scientific/technical cadre. The Recruitment Rules will be finalised following the procedure prescribed in this behalf.

खादी ग्रामोद्योग में विशेष वेतन

2013. श्री रामसिंह शाक्य :

श्री निहाल सिंह :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग के ऐसे कितने कार्यालय और विक्रय केन्द्र हैं जहाँ विशेष कार्य के लिये विशेष वेतन दिया जाता है ;

(ख) उन कार्यालयों के नाम क्या हैं और वह काम क्या है जिसके लिये विशेष वेतन दिया जाता है तथा इस पर कितनी धन राशि खर्च होती है ; और

(ग) विशेष वेतन प्राप्त करने वालों की शैक्षिक अर्हतायें क्या हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग). खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई के कार्यालय में अध्यक्ष, आयोग के सदस्यों और कुछ अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से सम्बद्ध वरिष्ठ आशुलिपिकों को महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपनी निगरानी में रखने के लिए विशेष वेतन दिया जाता है ।

आशुलिपिकों के अलावा रोकड़ सम्बन्धी कार्य करने वाले कर्मचारियों को भी विशेष वेतन दिया जाता है । आयोग के नई दिल्ली स्थित डिपो में विभागीय रूप से की जाने वाली बिक्री में कुछ कर्मचारियों को कानूनी कार्य कराने रोकड़ संभालने का कार्य करने के लिए विशेष वेतन दिया जाता है । कुछ कर्मचारियों के सम्बन्ध में उपलब्ध ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

खादी तथा ग्रामोद्योग, बम्बई के कार्यालय में दिये जाने वाले विशेष
निम्नलिखित से सम्बद्ध आशुलिपिक वेतन की राशि

1. अध्यक्ष	100 रुपये	प्रतिमास
2. आयोग के सदस्य	75 रुपये	प्रति मास
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी	100 रुपये	प्रति मास
4. वित्तीय सलाहकार	75 रुपये	प्रति मास
5. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी	50 रुपये	प्रति मास
6. पूल के वरिष्ठ श्रेणी आशुलिपिक	75 रुपये	प्रति मास

खादी तथा ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के कार्यालय में

क्र. सं०	कर्मचारी का नाम और पदनाम	वेतन मान	विशेष वेतन	शैक्षिक अर्हताएं	विशेष वेतन का उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
1	श्री आर० एम० तिवारी लेखा-कार -3	380-640	50 रु० प्र० मा०	मैट्रिक पास नहीं	कानूनी कार्य करने के लिए
2	श्री आर० बी० श्रेष्ठ, अपर श्रेणी लिपिक	330-560	-वही-	आठवीं कक्षा	रोकड़ संभालने का कार्य
3	श्री के० सी० गुप्त, अपर श्रेणी लिपिक	260-400	-वही-	हाईस्कूल	-वही-
4	श्री के० के० शर्मा, अपर श्रेणी लिपिक	260-400	-वही-	-वही-	-वही-
5	श्री बनारसी दास, सेल्समैन -3	260-400	30 रु० प्र० मा०	नौवीं कक्षा	-वही-
6	श्री आर० ए० यादव, अपर श्रेणी लिपिक	260-400	-वही-	बी० ए०	-वही-
7	श्री दान सिंह दफ्तरी	210-270	10 रु० प्र० मा०	मिडिल	साइक्लोस्टाइलिंग कार्य